न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : 94/2023 सूरजाराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06-8-25	प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर कथन किया कि प्रार्थी की सह खातेदारी की कृषि भूमि ख.स. 147/2 रकबा 5.3418 है., ख.सं. 201 रकबा 2.1691 है. ख.स. 202 रकबा 3.5693 है. वाके ग्राम मेहरामनगर एवम् खसरा नम्बर 213 रकबा 4.4353 है किस्म बारानी तृतीय वाके ग्राम खेजडानाडा पटवार हल्का जानादेसर तहसील झंवर में स्थित है जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज है। उपरोक्त खातेदारी की कृषि भूमि में प्रार्थी का अशुद्ध नाम सूरताराम पुत्र गोपाराम के नाम से लिपिकिय त्रुटि से दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी का वास्तविक एवम सही नाम सूरजाराम पुत्र गोपाराम है जिसके लिए प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त भूमियों के राजस्व रैकर्ड में प्रार्थी का अशुद्ध नाम सूरताराम पुत्र जोगाराम के स्थान पर सूरजाराम पुत्र गोपाराम एवं प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों की वल्दियत में जोगाराम की जगह गोपाराम नाम का इन्द्राज किये जाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार झंवर को इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2025/53 दिनांक 05.02.2024 के द्वारा जवाब/जांच हेतु लिखा गया। तहसीलदार झंवर के पत्रांक/भू.अ./2024/219 दिनांक 09.07. 2025 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रालवी की गई। तहसीलदार झंवर द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में अवगत कराया कि प्रार्थी सुरजाराम पुत्र गोपाराम जाति जाट निवासी मेहरामनगर की सहखातेदारी की कृषि भूमि ग्राम मेहरामनगर के खं.सं. 147/2, 201, 202 एंव खेजडानाडा के खं. सं. 213 मे उनका अशुद्ध नाम सूरताराम पुत्र जोगाराम दर्ज हो गया जबकि उनका सही नाम सुरजाराम पुत्र गोपाराम है एंव उक्त खसरो में उनके भाईयों जीताराम हुक्माराम के आगे पिताजी का नाम जोगाराम दर्ज हो गया जो कि अशुद्ध है। ग्राम जानादेसर के नामांतकरण संख्या 190 के द्वारा गोपाराम पुत्र मुकनाराम जाति जाट सा देह खातेदार ख.सं. 201, 213, 147, 202 में खातेदार गोपाराम के फौत का नामांतकरण दायर हुआ जिसमें उनके वारिसान के नाम में जीताराम, जेठाराम, हुक्माराम सूरजाराम पिता गोपाराम जाति जाट सा देह खातेदार दर्ज हुआ। इस प्रकार प्रभावित जमाबंदी संवत 2045 से 48 के खाता संख्या 58 में खातेदार सूरजाराम की जगह सुरताराम दर्ज हो गया। जमांबदी संवत 2053 से 56 तहरीर होते समय उनके पिता का नाम	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

गोपाराम की जगह जोगाराम दर्ज हो गया। प्रार्थी खातेदारो के पिता का राजस्व रिकार्ड में सही नाम गोपाराम ही दर्ज था। गोपाराम के फौतेदगी नामांतकरण में उनके सही नाम जीताराम, जेठाराम, हुक्माराम, सूरजाराम पिता गोपाराम दर्ज था। तत्पश्चात जमाबंदीया तहरीर होते समय इनके अशुद्ध नाम दर्ज हो गये जिसे शुद्ध किया जाना उचित बताया है।

पत्रालवी का अवलोकन किया गया। पत्रावली में मौजूद राजस्व रेकर्ड व तहसीलदार झंवर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि की सहखातेदारी भूमियां ग्राम मेहरामनगर के खसरा संख्या 147/2, 201, 202 एंव ग्राम खेजडानाडा के खसरा संख्या 213 के राजस्व रैकर्ड में प्रार्थी का नाम सुरताराम पुत्र जोगाराम की जगह सुरजाराम पुत्र गोपाराम व उनके भाईयों के आगे दर्ज पिता का नाम जोगाराम की जगह शुद्ध नाम गोपाराम दर्ज किये जाने की स्पष्ट अनुशंषा की गई है। फलस्वरूप उक्त भूमियों के राजस्व रेकर्ड में नाम शुद्धिकरण किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रेकर्ड शुद्धिकरण की मद्देनजर रेकर्ड दुरूस्ती की परिभाषा में आने के कारण स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन, तहसीलदार झंवर की रिपोर्ट एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झंवर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी की सहखातेदारी भूमियां ग्राम मेहरामनगर के खसरा संख्या 147/2, 201, 202 एंव ग्राम खेजडानाडा के खसरा संख्या 213 के राजस्व रेकर्ड में खातेदार का नाम सुरताराम पुत्र जोगाराम की जगह सूरजाराम पुत्र गोपाराम व उनके भाईयों के आगे दर्ज पिता का नाम जोगाराम की जगह शुद्ध नाम गोपाराम रेकर्ड दुरस्ती का अमल दरामद करें। आदेश सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी